न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या 04/2015

भागीरथ पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी मनाफरसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

–प्रार्थी

::बनाम::

1– श्रीमती परमेश्वरी पत्नी गणेशादास
2– भगवानदास
3– बजरंग दास
4– गुड्डी
5– मैना

(2 से 5 – पिसरान गणेशदास; 1 से 5 – जाति स्वामी निवासी मनाफरसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर)

6– स्टेट जरिये तहसीलदार बीकानेर

–अप्रार्थीगण

रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट सपठित धारा 232 आर टी ए

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी की तरफ से – श्री नरसाराम जाखड़ अधिवक्ता
2– अप्रार्थीगण की तरफ से – श्री श्यामदीन पड़िहार अधिवक्ता

::आदेश:: दिनांक 29.11.2019

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री भागीरथ पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी मनाफरसर ने अन्तर्गत धारा 82 भू.राजस्व अधिनियम एवं सपठित धारा 232 आर टी ए के तहत एक रेफरेंस प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी,(उत्तर) बीकानेर के द्वारा दिनांक 22.05.1976 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पति एवं पिता स्व. गणेशदास को ग्राम राजासर उर्फ करणीसर के खसरा नम्बर 13 में 3 बीघा, खसरा नम्बर 22 में 2 बीघा कुल 5 बीघा, बारानी भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के आधार पर इन्तकाल संख्या 459 दिनांक 15.10.1976 को तस्दीक किया गया। जिसे निरस्त कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित किया जावे।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से श्री श्यामदीप पहिड़ार ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार (भू.अ.) लूणकरणसर द्वारा प्रकरण से संबंधित रिकार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की। तदन्तर उभय पक्ष की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

3. विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एक सजग नागरिक है जिसका कर्त्तव्य बनता है कि सरकार के साथ कोई धोखाधड़ी अथवा बेईमानी करता है तो उसकी सूचना एवं जानकारी संबंधित अधिकारियों एवे कर्मचारियों को देना है। इस क्रम में उन्होने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पति एवं पिता स्व. गणेशदास को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के द्वारा दिनांक 22.05.1976 को राजासर उर्फ करणीसर के खसरा नम्बर 13 में 3 बीघा, खसरा नम्बर 22 में 2 बीघा, कुल 5 बीघा, बारानी भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के आधार पर जो इन्तकाल संख्या 459 दिनांक 15.10.1976 को तस्दीक किया गया। उसमें आवंटन के विपरीत जाकर रोही मौजा राजासर उर्फ करणीसर के खसरा नम्बर 22 के रकबा 8 बीघा गैर खातेदारी अंकित कर दिया जबकि खसरा नम्बर 22 में केवल 2 बीघा रकबा ही आवंटित किया गया था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पति एवं पिता ने अप्रार्थी संख्या 6 एवं अन्य कर्मचारियों जैसे पटवारी एवं गिरदावर से सांठ गांठ करके 2 बीघा भूमि के स्थान पर 8 बीघा भूमि का इन्तकाल बिना आवंटन ही फर्जी तरीके से दर्ज करवा कर तस्दीक करवा लिया जो पूर्णतयाः गलत एवं गैर कानूनी तथा पूर्णतया अनुचित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पति एवं पिता को किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु रेफरेंस किया जावे ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति अथवा कर्मचारी मिलकर इसकी हिम्मत नहीं कर सकें। तहसील स्तर पर आवंटन आदेश के विपरीत जाकर फर्जी तरीके से सरकारी भूमि को हड़पने का षड़यत्र रचकर उक्त आवंटित 2 बीघा भूमि के स्थान पर 8 बीघा भूमि का इन्तकाल दर्ज किया गया है जो सरासर धोखाधड़ी की तारीफ में आता है। इन सभी लोगों के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जाकर निष्पक्ष जांच करवाई जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पति एवं पिता चालाक एवं बदमाश प्रवृति का व्यक्ति था जो येने के प्रकरण सरकारी भूमि को हड़पने में लगा रहता था, जिसका जीता जागता नमूना यह है यानि कि पटवारी एवं गिरदावर तथा तत्कालिन तहसीलदार से मिलीभगत करके फर्जी तरीके से अपने नाम से रेकार्ड में इन्द्राज करवा लिया जिसे किसी भी स्थिति में कायम नहीं रखा जा सकता है, इसे निरस्त फरमाया जावे। रेफरेंस जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में कथन किया कि पैरा में जिस कदर अप्रार्थीगण के विवरण अंकित किए गये है स्थाई पते वर्तमान के प्रतिकूल अस्वीकार है। अंप्रार्थी 1 गणेशदास की पत्नी का नाम नहीं है तथा 4–5 के स्थाई पते उनके वर्तमान निवास के प्रतिकूल गलत अंकित किए गये है तथा अप्रार्थी संख्या 6 कौनसी स्टेट के के तहसीलदार बीकानेर का विवरण नितान्त मिथ्या अधूरा वेग अस्वीकार है। वर्तमान रिकार्ड 2–3 के नाम है। पैरा के कथन नितान्त मिथ्या, वेग निराधार कथन किए गये है। स्वयं एक भू–माफिया गिरोह का दबंग, गरीब की जमीन हडपने, ब्लैकमेल करने के लिए पुश्तैनी जमीन 2017 से पूर्व की रिकार्डेड पर जबरिया 8 बीघा पर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अतिचार से सांठगांठ करके हड़पना चाहता है। द्वेषवंश है। दावा उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर में प्रस्तुत में पक्षकार है। साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए स्वयं बेईमानी पूर्ण आवेदन पेश किया है। 1976 के बाद आज तक सजग नागरिक ने पहले आगाह क्यों नहीं की। पैरा 2 के तथ्य द्वेष पूर्ण कार्यवाही के कथन अस्वीकार है। पक्षकार संयोजन गलत 1, 4, 5, 6 किया गया है। पैरा 3 में अंकित तथ्य के बाबत स्व. गणेशदास की पत्नी परमेश्वरी का बताया है गलत तथ्य अंकित किए गए है तथा 4 व 5 के पते भी गलत अंकित है तथा अप्रार्थी भूमिधारी 6 भी गलत अंकित किया गया है। जहां तक आवंटन 22.5.76 के तथ्य तोड़ मरोड़ कर प्रार्थना पत्र के विषयवस्तु के प्रतिकूल अंकित मात्र 5 बीघा आवंटन के दर्ज भ्रमात्मक है। काश्तकारी हकूक के प्रतिकूल कथन पूर्णतया अस्वीकार है। रेफरेंस चलने योग्य नहीं है तथा वाद उपखण्ड अधिकारी स्वत्व अधिकार चिर निषेधाज्ञा का जैरकार है। प्रार्थी पक्षकार है। साक्ष्य के लिए आवेदन धारा 10 के बाधित है। प्रार्थना पत्र बेजा निराधार आधार पर पेश खारिज योग्य है। रेफरेंस ना तो अन्दर मियाद है। सारहीन, द्वेषपूर्ण कार्यवाही पर आवेदन के प्रति अन्य वजूहात का कोई अधिकार अपने अपने सजग नागरिक बताकर आवंटन के नाम महज ब्लैकमेल करने, जबरिया कब्जा से बेदखल विधिक जात से करने की कार्यवाही नहीं कर सकती है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा दिनांक 22.5.1976 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पति व पिता स्व. गणेशदास को ग्राम राजासर उर्फ करणीसर के खसरा नम्बर 13 में 5 बीघा खसरा नम्बर 22 में 2 बीघा बारानी भूमि आवंटन कर दी उक्त आवंटन के आधार पर इन्तकाल संख्या 459 दिनांक 15.10.1976 तस्दीक हुआ। जिसमें खसरा नम्बर 22 की 8 बीघा भूमि अप्रार्थी गणेशदास पुत्र सहीराम के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। जो कि आवंटन आदेश से 6 बीघा अधिक है। इस संबंध में तहसीलदार लूणकरणसर से प्राप्त रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1291 दिनांक 02.05.2018 के संलग्न जांच रिपोर्ट एवं फर्द मौका नायब तहसीलदार लूणकरणसर में यह स्पष्ट अंकित है कि "मुताबिक जमाबंदी ग्राम राजासर उर्फ करणीसर संवत 2065 से 2068 के मुताबिक खसरा नम्बर 22/8 बीघा, 965/13 भूमि रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. गणेशदास, भगवानदास, बजरंगदास, मैना पिसरान गणेशदास ब.हि. कौम स्वामी का मनाफरसर खातेदार दर्ज है। सैटलमेंट के बाद जमाबंदी संवत 2073 से 2076 ग्राम राजासर उर्फ करणीसर के नया खसरा नम्बरा 23/0.76 हैक्टयर, 26/2.02 हैक्टयर खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 22 के नये खसरा नम्बर 26 बने है। जो भगवानदास बजरंगदास पिसरान गणेशदास कौम स्वामी के नाम से खातेदार दर्ज है। उक्त रकबा पुराना खसरा नम्बर 22 तादादी 8 बीघा ग्राम करणीसर के इन्तकाल 459 दिनांक 15.10.1976 के द्वारा गणेशदास पुत्र सहीराम दास स्वामी मनाफरसर के द्वारा दर्ज हुआ जिसके कॉलम संख्या 14 में बहुक्म उपखण्ड अधिकारी

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

(उत्तर) बीकानेर दिनांक 22.5.1976 के आधार पर लिखा हुआ है। आवंटन पत्रावली की नकल की फोटो प्रति के अनुसार खंसरा नम्बर 13 व 22 में 5 बीघा भूमि बदोंबस्त रिकार्ड में दर्ज होने से वंचित रहना बताया गया जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 22.5.76 को 5 बीघा भूमि बंदोबस्ती स्वीकृत किया गया है। लेकिन इन्तकाल नं. 459 में दर्ज करते समय सहवन से खसरा नम्बर 875/13 में 3 बीघा व खसरा नम्बर 22/8 बीघा कुल 11 बीघा भूमि गणेशदास के नाम गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज हो गया। जो वर्तमान में नया नम्बर 23/0.76 है0, 26/2.02 हैक्ट0 कुल 2.78 हैक्टयर दर्ज है। पुराना खसरा नम्बर 22 वर्तमान खसरा नम्बर 26 पर गणेशदास पुत्र सहीराम दास तथा इनके वारिस भगवानदास, बजरंगदास का कब्जा कास्त नहीं है तथा उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा भी उक्त 8 बीघा भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त होना नहीं होना मौका दिनांक 21.03.2018 में अंकित किया है।" इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार लूणकरणसर ने फर्द मौका की जांच में अंकित किया है कि ग्राम करणीसर के पुराना खंसरा नम्बर 22 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 26 तादादी 2.02 के मौके पर ग्राम के मुख्यान को के समक्ष खेत खसरा नम्बर 26 के उतर में रतीराम पुत्र बलूराम जाट दक्षिण में मंगतूराम तेली का बैचान किया हुआ। पश्चिम में गणेशदास का बैचान किया हुआ। वर्तमान में हेतराम पुत्र मालूराम मिला तथा पूर्व में खसरा नम्बर 27 भागीरथ वगैराहा पिसरान आसाराम जाट का खेत मौके पर स्थित है। खसरा नं. 26 व खसरा नम्बर 27 के बीच किसी प्रकार की सींव नहीं है। दोनों खसरा इकजाई काश्त होता जो भागीरथ पुत्र आसाराम काश्त करता है। उपस्थित व्यक्तियों अनुसार दोनों खसरा की भूमि बहुत पुरानी आसाराम जाट की है तथा यही पुराने समय से काश्त करते आ रहे है। गणेशदास इस 8 बीघा भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की। खसरा नम्बर 22 की 8 बीघा भूमि अप्रार्थी गणेशदास पुत्र सहीराम के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। जो कि आवंटन आदेश से 6 बीघा अधिक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित किया जाना न्यायौचित पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि राज्य हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 459 दिनांक 15.10.1976 आंशिक रूप से 6 बीघा की हद तक विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। उपस्थित पक्षकार को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष दिनांक 03.02.2020 को उपस्थित होवें ।

8. आदेश आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ए.एम.नौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर